



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2026

फाल्गुन 6, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 54 / 79-वि-1-2026-1-क-1-2026
लखनऊ, 25 फरवरी, 2026

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 फरवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026
कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 14 जनवरी, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन धारा 50 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- "(ण) एक विश्वविद्यालय जिसे काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही के रूप में जाना जायेगा;" 3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- "(1-ठ) जब तक कि इस धारा के अधीन काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय तब तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्वधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।" 4-मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (2-अ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- "(2-ट) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही का प्रथम अध्यादेश न बना लिया जाय, तब तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी का अध्यादेश, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्वधीन इस पर लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।" 5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, - (क) क्रम-संख्या 19 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थात् :- "19- माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर (एक) काशी नरेश विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही भदोही की स्थापना होने तक (संत रविदास नगर) जिले (दो) काशी नरेश विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले " भदोही की स्थापना हो जाने पर (ख) क्रम-संख्या 20 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- "21-काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही (संत रविदास नगर) भदोही जिला" 6-(1) राज्य सरकार, काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्वधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे : परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	

निरसन और
व्यावृत्ति7—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026
एतद्वारा निरसित किया जाता है।उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 1
सन् 2026

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में नये विश्वविद्यालयों को स्थापित किए जाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला भदोही (संत रविदास नगर) में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही जिला का सबसे पुराना, सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं अधिकतम छात्र संख्या वाला महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में अभिवृद्धि की जायेगी, अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा और भदोही एवं आसपास के जिलों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अन्य नगरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उपर्युक्त के दृष्टिगत काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही (संत रविदास नगर) को काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही के रूप में स्थापित करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा 14 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 54(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-1-2026

Dated Lucknow, February 25, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2026. The Ucca Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

ACT, 2026

(U.P. ACT no. 13 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and
commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th day of January, 2026.Amendment of
Section 4 of
President's Act
no. 10 of 1973
as amended
and re-enacted
by U.P. Act
no. 29 of 1974
Amendment
of Section 502. In Section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A), *after* clause (n), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(o) a University to be known as Kashi Naresh University, Bhadohi;"

Amendment
of Section 523. In Section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-K), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(1-L) Until the First Statutes of Kashi Naresh University, Bhadohi are made under this section, the Statutes of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment
of Schedule4. In Section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-J), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(2-K) Until the First Ordinances of Kashi Naresh University, Bhadohi are made under sub-section (2), the Ordinances of the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

5. In the Schedule to the principal Act,—

(a) *for* the entries appearing at serial no. 19, the following entries shall *substituted*, namely :-

"19 . Maa Vindhyavasini University, Mirzapur —

Until the establishment of Kashi Naresh University, Bhadohi. Districts of Mirzapur, Sonbhadra, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar).

Upon the establishment of Kashi Naresh University, Bhadohi. Districts of Mirzapur, Sonbhadra."

(b) *after* serial no. 20, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:-

"21. Kashi Naresh University, Bhadohi. Bhadohi (Sant Ravidas Nagar District)."

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Kashi Naresh University, Bhadohi, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Power to
remove
difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

Repeal and
saving

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2026 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 1 of 2026

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) has been enacted to amend and consolidate the laws related to certain universities in the State of Uttar Pradesh.

The State Government has set a goal of establishing new universities in the State in order to provide quality higher education. In pursuit of this goal, the need has been felt to establish a new State University in district Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) to ensure the availability of quality higher education to students from rural and backward areas.

Kashi Naresh Government Post-Graduate College, Gyanpur, Bhadohi is the oldest, most prestigious and largest student-strength college of the district. By establishing this college as a university, the spread of education in rural areas will be promoted, research will be encouraged, and students of Bhadohi and adjoining districts will not be required to go to other cities for quality higher education. In view of the above, it was decided to establish Kashi Naresh Government Post-Graduate College, Gyanpur, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) as Kashi Naresh University, Bhadohi.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 1 of 2026) was promulgated by the Governor on January 14, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 387 राजपत्र-2026-(1224)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 182 सा० विधायी-2026-(1225)-70+230=300 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।